

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2359

(जिसका उत्तर सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/ 27 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाना है)

वित्तीय क्षेत्र सुधार

2359. श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विगत नौ वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक किए गए प्रमुख वित्तीय क्षेत्र सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान किए गए बजटीय सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) द्वारा खरीद में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सीपीएसई द्वारा जीईएम पोर्टल के माध्यम से की गई खरीद का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): पिछले नौ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रमुख वित्तीय क्षेत्र सुधारों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) प्रतिभूतियों और कमोडिटी डेरिवेटिव बाजारों का एकीकरण;

(ii) वित्तीय रूप से वंचित लोगों के वित्तीय समावेशन में सुधार लाने और भारत में बीमा और पेंशन कवरेज में वृद्धि करने के लिए प्रधान मंत्री जन धन योजना और जन सुरक्षा योजनाएं (प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना) शुरू करना;

(iii) आर्थिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति संबंधी सांविधिक और संस्थागत ढांचे की स्थापना;

(iv) भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 का अधिनियमन ताकि भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय किए जा सकें और भारत में कानून के शासन की शुचिता को संरक्षित किया जा सके;

(v) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता में सुधार लाने के लिए उनके अभिशासन और प्रबंधन सुधारों की शुरूआत करना और उनका समेकन करना;

(vi) कवरेज बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान अवसंरचना को बढ़ावा देना; और भुगतानों की दक्षता में सुधार, विशेष रूप से सरकारी राजसहायता के लक्षित भुगतानों के लिए; और

(vii) प्रणालीगत जोखिम को कम करने और वित्तीय क्षेत्र की समुत्थानशीलता को मजबूत करने के लिए अर्हक वित्तीय संविदाओं के द्विपक्षीय नेटिंग के लिए एक ठोस कानूनी आधार प्रदान करने हेतु अर्हता प्राप्त वित्तीय संविदा अधिनियम, 2020 की द्विपक्षीय नेटिंग का अधिनियमन।

(ख): पिछले नौ वर्षों के दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रमुख बजटीय सुधारों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं -

(i) बजटीय प्रक्रिया के शीघ्र समापन को आसान बनाने के लिए 2017-18 में बजट चक्र को प्रत्येक वर्ष फरवरी के पहले दिन प्रस्तुत करना, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से मंत्रालयों/विभागों को पूर्ण बजट की उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि वर्ष के दौरान योजनाओं/परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने में मदद मिल सके और बजट में शुरू किए गए कर उपायों के संबंध में व्यापार और उद्योग को स्पष्टता प्रदान की जा सके ताकि बेहतर कर और व्यापार योजना बनाने में पहले से मदद मिल सके।

(ii) रेलवे के कार्यों को केंद्र में लाने और सरकार की वित्तीय स्थिति की समग्र स्थिति प्रदर्शित करने में मदद करने के लिए वर्ष 2017 से एकीकृत बजट पेश करना;

(iii) मौजूदा राजकोषीय विधायी ढांचे को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2015 और वर्ष 2018 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 में संशोधन किया गया है; और

(iv) केंद्रीय बजट 2021-22 से बजट को पेपरलेस प्रारूप में पेश करना।

(ग): सरकार ने विशिष्ट कदम उठाए हैं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सीपीएसई द्वारा खरीद में वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ बातचीत करती रही है। ऐसे सरकारी उपायों में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/सीपीएसई द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) से अनिवार्य वार्षिक खरीद को 20% से बढ़ाकर 25% करना, एमएसई से सार्वजनिक खरीद के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा संबंध पोर्टल लॉन्च करना, और विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित करना शामिल हैं।

(घ): जेम (जीईएम) पोर्टल की स्थापना के बाद से सीपीएसई द्वारा खरीद का विवरण नीचे दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	जीईएम की स्थापना के बाद से सीपीएसई द्वारा कुल खरीद (करोड़ रुपये में)	जीईएम की स्थापना के बाद से सीपीएसई द्वारा एमएसएमई से खरीद (करोड़ रुपये में)
वित्त वर्ष 2023-24 (6 दिसंबर 2023 तक)	1,36,607	46,013
वि.व. 2022-23	1,06,902	36,417
वि.व. 2021-22	46,717	19,959
वि.व. 2020-21	7,211	3,519
वि.व. 2019-20	1,375	1,027
वि.व. 2018-19	593	438
वि.व. 2017-18	221	117
वि.व. 2016-17	21	8
